No.21/88/2013-M&G
Government of India
Ministry of Home Affairs

NDCC-II, New Delhi,
Dated the 13 June, 2013

जारी किया
ISSUED
13 JUN 2013

1 3 JUN 2013

To
Mohammad Javed,
Mo-Nabab, Baddu Nagar,
Kashganj
(UTTAR PRADESH)

Subject:-Supply of Information sought under Right to Information Act, 2005.

Sir,

I am to refer to your two applications dated 24.04.2013 on the above subject.

2 In this connection, it is stated that requisite information closely relate to Pay & Accounts Office, Cabinet Affairs, hence, RTI application is being transferred to them for providing information as appropriate.

3 As regards information regarding number of foreign tours made by Ministers in the last 9 years is scattered to various Ministries/Department. You are, therefore, requested to make separate applications for information. Requisite information as regard to this CPIO, may be treated as 'nil'

3. The Appellate Authority in this matter is Shri S. Suresh Kumar, Joint Secretary (CS) & First Appellant Authority, Ministry of Home Affairs, NDCC-II Building, Jai Singh Road., New Delhi.

Yours faithfully,

Encl; As above

(ASHUTOSH JAIN)
Director & CPIO
Tel.No. 23438147

P.B.No-
17/2013
Issued
13/6/13

Copy to

Sr. Account Officer, Pay & Accounts Office, Cabinet Affairs, C-1 Hutments, Dalhousie Road, New Delhi (for information regarding total expenditure incurred on foreign tours of Ministers in the last 9 years)

Copy for information to:-

15/2012 on 13/6/13

Shri Sanjoy Mitra, Under Secretary, RTI Cell, MHA, North Block, New Delhi w.r.t. their OM No. A-43020/1/2013-RTI dated 6.5.2013.

1973/13 – 30 APR 13

1973/13

URGENT
RTI ACT
Diary No. 9017
& Date 29/04/13
04/05/13
For Disposal

29 APR 2013

सेवा में,

श्रीमान जन सूचना अधिकारी / प्रधानमंत्री कार्यालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषय :– वर्ष 2005 अक्टूबर से लागू सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थी अपके कार्यालय से कुछ निम्नलिखित सूचनायें प्राप्त करना चाहता है।

महोदय,

1. पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के छः साल की सरकार में भारत मे कुल कितने नये नेशनल हाईवे बने एवं कितने नेशनल हाईवे फोर लेन से सिक्स लेन में तब्दील हुए एवं कितने नेशनल हाईवेज की लम्बाई बढ़ाई गयी एवं कितने नेशनल हाईवे का विस्तार हुआ।
2. नौ साल पुरानी कांग्रेस पार्टी माननीय प्रधानमंत्री डा० मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में कुल कितने नये नेशनल हाईवे बने। उनके नाम एवं नम्बर बतायें एवं कितने फोर लेन, सिक्स लेन में तब्दील हुए एवं कितने नेशनल हाईवे पर कार्य प्रगति पर है उनके नाम एवं नम्बर बतायें।
3. प्रार्थी के मुताबिक सच्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी है उसके अनुसार मुस्लिम समुदाय की हालत अनुसूचित जनजाति से कमजोर बतायी गयी है, क्या यह बात सही है।
4. सच्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी है वह रिपोर्ट कुल कितने पेजों में है बतायें एवं सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 2(2)(J)(1) के तहत प्रार्थी को उपलब्ध कराने की कृपा करें।
5. प्रार्थी के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय को पिछले काफी समय से आरक्षण मिल रहा है। फिर भी भारत सरकार उनके लिये संविधान में संशोधन करके प्रमोशन में आरक्षण देने को तैयार है जबकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिमों की हालत अनुसूचित जाति से बदतर बतायी गयी है तो कांग्रेस सरकार मुस्लिमों के लिये क्या संविधान में संशोधन करके उन्हें आरक्षण देगी।
6. वर्ष 1983 के सिख समुदाय के दंगा पीड़ित को भारत सरकार ने कितना मुआवजा दिया बतायें एवं वर्ष 2002 के गुजरात दंगा पीड़ित मुस्लिमों को क्या मुआवजा दिया गया बतायें।

IPO No. 17F 659/00 dt 26/04/13

7. पिछले 9 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में है। इन वर्षों में भारत सरकार के मंत्रियों ने कुल कितने विदेशी दौरे किये उन विदेशी दौरों पर भारत सरकार ने कुल कितना खर्च किया बतायें।

8. माननीय प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह जी ने अपने 9 साल के शासन में कुल कितने विदेश दौरे किये उन दौरों पर कितनी धनराशि खर्च हुयी बतायें।

9. भारतीय संविधान के अनुसार रोड पर चलने का पहला अधिकार माननीयों का होता या एक आम भारतीय नागरिक का जिसके पैसे माननीयों को सुरक्षा एवं तमाम सुविधायें मिलती हैं बतायें।

10. जनपद गाजियाबाद से जनपद अलीगढ़ तक जो नेशनल हाईवे 91 फोर लेन बन रहा है वह हाइवे इतनी धीमी गति से क्यों बन रहा है। इसे बनाने के लिये कुल कितनी समय सीमा निर्धारित की गयी थी।

अतः उक्त बिन्दुओं की सूचनायें निर्धारित समय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें और जो सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित न हो तो सम्बन्धित कार्यालय से सूचना प्राप्त कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सूचना प्राप्ति हेतु शुल्क के रूप में 10/– रुपये का भारतीय पोस्टल आर्डर संलग्न है जिसकी संख्या – 17एफ 659100 है। यदि कोई और शुल्क देय हो तो प्रार्थी को निम्न पते पर सूचित करने का कष्ट करें।

दिनांक –२५-५-२०१३

प्रार्थी

मो० जावेद

मोहम्मद जावेद पुत्र मोहम्मद इब्राहीम
निवासी – मौ0 नवाब, बड्डू नगर
कासगंज, जनपद – कासगंज (उ0प्र0)